न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 64 / 16

उनवान

1. घासी सिंह पुत्र छोगा
2. श्रीमती रमती पत्नी छोगा सिंह जाति रावत निवासी धोला दॉता न्यारा

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता रमेश सिंह रावत

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र उगमा
2. हीरा सिंह पुत्र उगमा
3. बिरू पुत्र उगमा
4. छोटू पुत्र उगमा
5. गोपाल पुत्र हजारी
6. कूका पुत्र हजारी
7. जय सिंह पुत्र हजारी,
8. जडाव पुत्री हजारी जाति रावत निवासी धोलादॉता न्यारा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :–जरिये अधिवक्ता राम सिंह रावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :–

दिंनाक :– 15.2.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम न्यारा में स्थित है जिसके खाता संख्या 7 / 11 किंता 6 रकबा 0.62है0, 215 / 228 किंता 11 रकबा 1.20है0, 12 / 12 किंता 2 रकबा 0.13है0, 13 / 13 किंता 3 रकबा 0.52है0 प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जरिये विरासत से प्राप्त अपने हिस्से पर कब्जा प्राप्त कर कृषि कार्य कर रहे है। वादग्रस्त आराजियात वर्किंग जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों के पिता छगना के नाम दर्ज होकर हाल रेकॉर्ड में अपने अपने हिस्से अनुसार दर्ज होना था परन्तु हाल व वर्किंग रेकार्ड छगना के वारिसों के नाम दर्ज हो गया है। जिसे दुरूस्त कर वर्किंग व हाल रेकॉर्ड में छगना के नाम दर्ज कर उनकी मृत्यू पश्चात उनके वारिसों जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण है के नाम विरासत से प्राप्त हिस्से अनुसार दर्ज होना है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसको राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में छगना के स्थान पर हजारी दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

दिया है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया की कब्जे काश्त में दखअंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न नहीं करे व अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया की बन्दोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई भी गलत व त्रुटिपूर्ण इन्द्राज रेकॉर्ड में नहीं किया गया है वर्तमान स्थिति में जो रेकॉर्ड है वह बिलकुल सही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण का वाद भारी व्यय से खारिज करने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को ही दोहराया है।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की बन्दोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई भी गलत व त्रुटिपूर्ण इन्द्राज रेकॉर्ड में नहीं किया गया है वर्तमान स्थिति में जो रेकॉर्ड है वह बिल्कुल सही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :— पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वर्किंग जमाबन्दी अनुसार हजारी पुत्र छगना, उगमा व छोगा पिसरान छगना, दर्ज है। धारा 212 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई प्रार्थना का विनिश्चयन करते समय प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति के तीनों घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि पर क्या अधिकार है यह तो साक्ष्यों के परीक्षण और उसके आधार पर वाद की कार्यवाही के दौरान अंतिम निर्णय पर ही तय हो सकता है। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसमे तो यही देखा जाना अपेक्षित है कि वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में बनता है या नहीं।

वादग्रस्त आराजियात वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–74 खात संख्या 7/11 किंता 6 रकबा 0.62है0 उगमा व छोगा पिसरान छगना, के नाम दर्ज है। खाता संख्या 215/228 किंता 11 रकबा 1.20 हजारी वल्द छगना खाता संख्या 12/12 किंता 2 रकबा 0.13 उगमा वल्द छगना, खाता संख्या 13/13 किंता 3 रकबा 0.52 उगमा वल्द छगना के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि हाल व वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों के स्थान पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों के पिता छगना के नाम दर्ज होकर हाल रेकॉर्ड में अपने अपने हिस्से अनुसार दर्ज होना था किन्तु हाल व वर्किंग रेकॉर्ड छगना के वारिसों के नाम दर्ज हो गया है। हजारी के पिता का नाम छगना है प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो की प्रार्थीगण के पूर्वज छोगा का नाम दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट हो की वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व विश्लेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पूर्वज छोगा का वर्किंग जमाबन्दी में नाम दर्ज नहीं है। जिससे यह स्पष्ट हो सके की वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। अप्रार्थीगण रेकॉर्डेड खातेदार है। कब्जे के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही निर्णित होगें। अतः प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उन्हें क्या अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक अप्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम न्यारा के खाता संख्या 7/11 किंता 6 रकबा 0.62है0, 215/228 किंता 11 रकबा 1.20है0, 12/12 किंता 2 रकबा 0.13है0, 13/13 किंता 3 रकबा 0.52है0 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"अस्वीकार"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner